संख्या-09/2017/1122/29-4-2017

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
टी0सी0/3बी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।
3. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, (एस0एफ0सी0), लखनऊ।
7. अधिशाषी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0)
32 स्टेशन रोड, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0,
(पी0सी0यू0), लखनऊ
10. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्यो0 निगम
(यू0पी0 एग्रो),
विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
11. शाखा प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ
मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0),
बी0-4 एच0 रोड, महानगर, लखनऊ।
12. शाखा प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
मर्यादित (नैफेड),
अलीगंज, लखनऊ।
13. निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4 **लखनऊ:: दिनांक 16 नवम्बर, 2017**

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति विषयक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-03/2017/802/29-4-2017-5(2)/2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-16.2 में यह व्यवस्था दी गयी है कि "ब्लैक लिस्टेड, 02 मी0टन से कम क्षमता वाली, बकाया कस्टम मिल्ड राइस (सी0एम0आर0) वाली तथा शासन को क्षति पहुँचाने वाली मिलों से कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं कराया जायेगा।"

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रस्तर-16.2 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

(1) ऐसी बकायेदार चावल मिलें जो अद्यतन अवशेष वसूली का न्यूनतम 40 प्रतिशत धनराशि जमा कर देती हैं, उनसे इस आशय का शपथपत्र प्राप्त कर कि वे शेष धनराशि आगामी 02 वर्षों में जमा कर देंगी, पंजीकृत/मल्टीस्टेट समितियों का धान हलिंग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) ऐसी चावल मिलें जो अद्यतन अवशेष वसूली का न्यूनतम 50 प्रतिशत जमा कर देती हैं, उनसे रू0 07 लाख की बैंक गारंटी अथवा चावल की एक अग्रिम लॉट लेकर कस्टम धान हलिंग की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि एक लॉट धान हलिंग हेतु देने के पश्चात् अग्रेत्तर धान हलिंग हेतु देने के पूर्व धान क्रय करने वाले कर्मचारी से एक स्तर ऊपर की लिखित अनुमति/सत्यापन कि पूर्व में दिये गये धान का समस्त देय चावल मिलर द्वारा भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रदान कर एक्नालेजमेंट आदि प्रपत्र विभाग को उपलब्ध करा दिये हैं, के पश्चात् ही धान हलिंग हेतु दिया जायेगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे एवं विचलन की स्थिति में जिम्मेदार होंगे।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 31 अगस्त, 2017 का प्रस्तर 16.2 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष प्रस्तर/शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-09/2017/1122(1)/29-4-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/सहकारिता विभाग/कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, खाद्यायुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्यायुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- समस्त सम्भागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।
10- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 एवं 5, उ0प्र0 शासन।
11- सचिव, यू0पी0 राइस मिलर्स एसोसिएशन, 128, क्लाइड हाउस मालरोड, कानपुर।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-09/2017/1122(2)/29-4-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
2- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, खाद्य एवं रसद विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, सहकारिता विभाग, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कृषि विभाग, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in